

फर्द अहकाम

(नियम 26)

नक्स विविध प्रकरण संख्या 13/2018 अनवान लादाराम बनाम स्व. जोधाराम के कामु. प्रकाश चौधरी वगैरा अंतरिम धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 संपठित धारा 151 की.पी.सी.

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
28/5 2019	<p>वकील प्रार्थी श्री भरत जे राठौड उपस्थित। वकील अप्रार्थीगण श्री गणपतलाल चौधरी उपस्थित। वकील प्रार्थी श्री भरत जे. राठौड द्वारा बहस में दलील दी गई कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त सह खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम खुडाला तहसील बाली के खसरा नंबर 946 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नंबर 947 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नंबर 948 रकबा 0.11 हैक्टर, खसरा नंबर 949 रकबा 0.62 हैक्टर, खसरा नंबर 950 रकबा 0.47 हैक्टर, खसरा नंबर 951 रकबा 0.46 हैक्टर, खसरा नंबर 952 रकबा 0.43 हैक्टर, खसरा नंबर 953 रकबा 0.42 हैक्टर, खसरा नंबर 954 रकबा 0.45 हैक्टर कुल खसरा-09 कुल रकबा 3.10 हैक्टर स्थित हैं। जिस भूमि के संबध में प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य 60-62 वर्षो पुर्व आपसी सहमति से किये गये बंटवाडा अनुसार खाते अलग-अलग करने हेतु विभाजन का वाद पेश किया गया हैं। जो वाद न्यायालय में जैर तजवीज हैं। प्रस्तुत विभाजन के वाद के लंबित रहते आपसी सहमति से हुये बंटवाडा अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के संयुक्त हिस्से/बंट में रखे खसरा नंबर 947 व 948 किस्म गै.मु. बेरा व मकान कुल रकबा 0.13 हैक्टर के भू0 भाग में प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित भू0 भाग v x y z में अप्रार्थीगण द्वारा रेकर्ड में हुये बंटवाडा के दगैर ही अपनी हठधर्मिता से इच्छानुसार पक्का निर्माण किया जा रहा हैं, तथा प्रार्थी द्वारा मना करने पर भी नहीं मान रहे हैं। जिससे प्रार्थी द्वारा उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। जो प्रथम दृष्ट्या प्रार्थी के पक्ष में बनना प्रमाणित हैं। यदि उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती हैं, तो प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद एवं उक्त प्रार्थना पत्र का मकसद ही समाप्त हो जावेगा। तथा प्रार्थी को भारी कठिनाईयो का सामना करना पडेगा। अतः न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 05.03.2018 को पारित एक पक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश को वाद के निर्णय तक पुख्ता किया जावे। इसके विपरित अधिवक्ता अप्रार्थीगण श्री गणपतलाल चौधरी द्वारा दलील दी जा रही हैं कि वादग्रस्त भूमि का प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य मौकै पर भौतिक रूप से बंटवाडा 45 वर्ष पुर्व हो रखा हैं। वर्ष 1994 में प्रार्थी प्रार्थी ने गैर मुमकिन सडा में विवाद किया जिस पर गाँव के मौजिज व्यक्तियों के रुबरु सडा (गुआ)का बंटवाडा किया जाकर पत्थर गढी की गई, और उसका एक लिखत भी लिखा गया। इसके वावजूद भी प्रार्थी विवाद करता रहता है। वर्ष 2008 में वापस पंचायती हुई जिसका एक लिखत भी लिखा गया। प्रार्थी खसरा नंबर 947 व 948 गैर मुमकिन बेरा, मकान, सडा की भूमि को मौके पर बंटवाडे अनुसार लेना नहीं चाहते हैं और उस बंट में आने वाले हिस्से से ज्यादा जमीन लेना चाहता है। पक्षकारों के मध्य किये गये भौतिक बंटवाडा के अनुसार बेरा व सडा की भूमि पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण मेंसे कुछ लोगों ने अपने हिस्से की भूमि पर मकान बंदुकान बना रखे हैं। केवल अप्रार्थी संख्या 4/1 के हिस्से में निर्माण कार्य बाकी था जो प्रार्थीनी द्वारा वाद पेश के पूर्व ही निर्माण कार्य कर दिया था। लेकिन प्लास्टर करना बाकी रहा हैं। प्रार्थी द्वारा केवल अप्रार्थीगण को तंग व धरशान करने की नियत से 15 फीट का रास्ता बंटवाडा अनुसार तय किये जाने का गलत वाद एवं उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर एक पक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी गलत होने से खारिज किये जाने की दलील दी गई। अपनी दलीलो के समर्थन में विद्ववान् वकील अप्रार्थी श्री गणपतलाल चौधरी द्वारा कानूनी उद्धरण आर.आर.टी. 2014-15 (Supp) पेज 657 से 659 एवं आर.आर.टी 2014(2) पेज 1301 से 1303 पेश किये। तथा इन कानूनी उद्धरणों में</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही गय इनिशियल जज	नाम व तारीख आदमा इस हुक्म की तामिल जारी हुये
	<p>प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने की दलील दी। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं संलग्न अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के अवलोकन से यह जाहिर है कि ग्राम खुडाला तहसील वाली के खसरा नंबर 946 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नंबर 947 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नंबर 948 रकबा 0.11 हैक्टर, खसरा नंबर 949 रकबा 0.62 हैक्टर, खसरा नंबर 950 रकबा 0.47 हैक्टर, खसरा नंबर 951 रकबा 0.46 हैक्टर, खसरा नंबर 952 रकबा 0.43 हैक्टर, खसरा नंबर 953 रकबा 0.42 हैक्टर, खसरा नंबर 954 रकबा 0.45 हैक्टर कुल खसरा-09 कुल रकबा 3.10 हैक्टर भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त सह खातेदारी की भूमि हैं। जिस भूमि का पक्षकारों के मध्य 60-62 वर्ष पूर्व मौके पर विभाजन अनुसार रेकर्ड में खाते अलग-अलग करने का अप्रार्थीगण को कहने के उपरान्त रजाबन्द न होने से प्रार्थी द्वारा विभाजन का वाद न्यायालय में पेश किया हुआ है जो अभी न्यायालय में वादी पक्ष की साक्ष्य में जैर तजवीज है एवं वाद के साथ में उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र इस बिनाय पर पेश किया गया है कि अप्रार्थीगण संयुक्त बंट में रखी गई भूमि खसरा नंबर 947 व 948 गै.मु. बेरा व मकान कुल रकबा 0.13 हैक्टर के विशेष भू भाग जो प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित भू भाग v x y z पर पक्का निर्माण करने पर आमादा है, जिससे प्रस्तुत वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रोका जावे। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। उभय पक्ष वकूलाय की बहस पर मनन किया। उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकूलाय की बहस पर मनन के पश्चात् प्रश्नगत प्रकरण में यह जाहिर है कि ग्राम खुडाला तहसील वाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 946 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नंबर 947 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नंबर 948 रकबा 0.11 हैक्टर, खसरा नंबर 949 रकबा 0.62 हैक्टर, खसरा नंबर 950 रकबा 0.47 हैक्टर, खसरा नंबर 951 रकबा 0.46 हैक्टर, खसरा नंबर 952 रकबा 0.43 हैक्टर, खसरा नंबर 953 रकबा 0.42 हैक्टर, खसरा नंबर 954 रकबा 0.45 हैक्टर कुल खसरा-09 कुल रकबा 3.10 हैक्टर प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त सह खातेदारी की भूमि हैं। जिस भूमि का पक्षकारों के मध्य 60-62 वर्ष पूर्व मौके पर किये गये विभाजन के अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन किये जाने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद प्रस्तुत किया है। अविभाजित संयुक्त सह खातेदारी की भूमि में विधि अनुसार प्रत्येक सह खातेदार का ईन्च-ईन्च पर कब्जा माना जाता है। खसरा नंबर 947 व 948 गै.मु. बेरा व मकान रकबा 0.13 हैक्टर प्रार्थी व अप्रार्थीगण के संयुक्त सह खातेदारी में दर्ज हैं। जिसको प्रार्थी द्वारा शामिलता में रखा जाना बताया एवं अप्रार्थी पक्ष द्वारा इसका खण्डन करते हुये मौके पर भौतिक रूप से इसका भी विभाजन होना बताया। दोनों पक्षों की दलीलो अनुसार मौके पर भौतिक कब्जों को लेकर खसरा नंबर 947 व 948 की भूमि गैर मुमकिन बेरा व सडा व मकान के संबध में दोनों पक्षों में सहमति नहीं है, परन्तु फिर भी अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित भू भाग v x y z हैं पर पक्का निर्माण करने पर आमादा है। यदि अप्रार्थीगण अपने उक्त कृत्य में सफल हो जाते हैं तो रेकर्ड में बिना विभाजन के ही मौके पर पक्का निर्माण हो जावेगा। एवं वादी द्वारा प्रस्तुत विभाजन के वाद में डिक्री जारी होने के बाद उक्त पक्का निर्माण किसके हिस्से/बंट में आयेगा, इस तथ्य का खुलासा वाद के निर्णय के पश्चात् ही होगा। ऐसे में यदि बिना विभाजन की डिक्री के अप्रार्थीगण अपनी ईच्छानुसार मौके पर पक्का निर्माण कर देते है, तो प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं वाद का मकसद ही समाप्त हो जावेगा। एवं प्रार्थी को आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पडेगा। प्रकरण में चूंकि एक पक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा मौके पर पक्का निर्माण नहीं करने व यथा स्थिति कायम रखने बाबत् जारी है। एवं प्रस्तुत वाद में वादी पक्ष के साक्ष्य का शपथ पत्र भी पेश कर दिया गया है, जिसकी जिरह के लिये मूल वाद लंबित चल रहा</p>	

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
	<p>हैं। इस प्रकार मूल वाद निर्णय के करीब आ चुका है एवं इस समय यदि वकील अप्रार्थीगण की दलीलो अनुसार अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है, तो अप्रार्थीगण बिना रेकर्ड में विभाजन के पक्का निर्माण कर देंगे एवं इससे मौके की स्थितियां परिवर्तित होने से प्रकरण में अन्य कई प्रकार की पेचिदगीया व वाद बाहुल्यता बढेगी। प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या मामला बनना, सुविधा का संतुलन, व अपूरणीय क्षति के बिन्दु अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होने से ग्राम खुडाला तहसील बाली स्थित भूमि खसरा नंबर 947 व 948 गै.मु. बेरा व मकान रकबा 0.13 हैक्टर मेंसे प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित भू0 भाग v x y z के संबध में न्यायालय द्वारा दिनांक 05.03.2018 को पारित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश में किसी प्रकार की दखल देना उचित प्रतीत नहीं हैं। एवं न्यायालय द्वारा दिनांक 05.03.2018 को पारित एक पक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निर्णय तक पुख्ता किया जाता हैं। मिसल फैसल शुमार होकर मूल राजस्व वाद संख्या 16/2016 के संलग्न हो।</p>	


 उपखण्ड अधिकारी,
 39 - खण्ड अधिकारी, बाली